

क्र.193/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.-17/2024/10912

भोपाल दिनांक 25.10.2024

//आदेश//

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक 193/MPIDC/Est./S.N.17/2024, दिनांक 07.08.2024 द्वारा दिव्यांगजनों के सहायक ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति हेतु निगम सेवा नियम-2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 7-19/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 31.05.2024 में निहित निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों हेतु दिनांक 21.08.2024 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का निगम द्वारा गठित समिति से स्क्रीनिंग किये जाने के उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की गई। प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को सातवें वेतनमान लेवल-06 (25300-80500) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर "सहायक ग्रेड-2" पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रूप से अधोलिखित आलेखित शर्तों के अधीन आगामी आदेश तक एतद्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	अभ्यर्थी की श्रेणी (अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	स्थायी पते के अनुसार गृह जिला	पत्राचार वर्तमान पता	दिव्यांगजन पद की श्रेणी	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सुरुचि वर्मा, आत्मजा श्री नारायण प्रसाद वर्मा	अनारक्षित	नरसिंहपुर	प्रतिभा कालोनी, आजाद वार्ड, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर (म.प्र.) पिन कोड-487551	बहुविकलांगता (80%)	एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

- चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान चयनित दिव्यांगता पद की श्रेणी हेतु प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की सत्यता एवं प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई विपरीत जानकारी या टिप्पणी जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त होती है अथवा कालान्तर में दिव्यांगता के संबंध में कोई विपरीत जानकारी प्राप्त होती है तो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- परिवीक्षा पर पदस्थ उक्त अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/ 2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुरूप परिवीक्षा अवधि में इस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टापपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी आदेश जारी होने के उपरांत पदीय वेतनमान के अनुरूप नियमानुसार वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- उपरोक्त निगम सेविका की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम-2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम-1961, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।
- इस आदेश से नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में चरित्र सत्यापन हेतु शापथ पत्र भी कार्यभार ग्रहण करने के समय पदस्थापना स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।


SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM

CIN : U51102MP1977SGC001392

21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)

Tel. : (91) 755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505, E-mail : helpdesk@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in

6. यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र में दी जानकारी पुलिस सत्यापन में निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा उसे अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवा के लिए भी अयोग्य किया जा सकता है।
7. इस आदेश से नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण के समय शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं अन्य संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी एवं सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र भी कार्यभार ग्रहण के समय पदस्थापना स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
8. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के पश्चात 30 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा समयवधि पश्चात नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
9. यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयवधि नोटिस अथवा 01 माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।


(चन्द्रमौली शुक्ला)


प्रबन्ध संचालक
भोपाल दिनांक .10.2024

क्र.193/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.-17/2024/

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में उल्लेखित शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं उसके सत्यापन हेतु मूल प्रति से मिलान कर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा निगम मुख्यालय को उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति भेजना सुनिश्चित करें।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/जबलपुर/रीवा/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/शहडोल/नर्मदापुरम/चंबल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यकारी संचालक (प्रशासन/स्थापना/वित्त एवं लेखा), एमपीआईडीसी मुख्यालय, भोपाल।
5. संचालक (आई.टी.), एमपीआईडीसी मुख्यालय, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्रति निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित कराएँ।
6. सुश्री सुरुचि वर्मा, आत्मजा श्री नारायण प्रसाद वर्मा, प्रतिभा कालोनी, आजाद वार्ड, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर (म.प्र.) की ओर चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित।
7. आदेश प्रति।

संलग्न :- चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारूप।


प्रबन्ध संचालक

(एमपीआईडीसीलि. में सहायक ग्रेड-2 पद पर नियुक्ति)

शपथ पत्र

मैं आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी
.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन सहायक ग्रेड-2, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

फोटो

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीतासत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को.....मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता